



हमीरपुर पुलिस



दिनांक-27.07.2021

थाना-कोतवाली

जुआ खेलते 06 गिरफ्तार, कब्जे से 23190/- बरामद

कल दिनांक 26.07.2021 को सूचना प्राप्त हुई कि गोपाल उर्फ जुगल किशोर निवासी विवेक नगर थाना कोतवाली जनपद हमीरपुर के घर में जुआ हो रहा है, घर के अंदर जुआ पकड़ने हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत एक टीम उपनिरीक्षक नीरज पाठक के नेतृत्व में आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु भेजी गई थी। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर गोपाल उर्फ जुगल किशोर निवासी विवेक नगर के घर के अंदर से जुआ खेलते हुए 6 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। मालफ़ड़ से कुल 21070/- रुपया तथा जामा तलाशी से 2120/- बरामद हुआ तथा मौके 500 के नोटों को काटकर उसके मध्य एक मोबाइल की बैटरी लगाया हुआ डिवाइस जिसमें मोबाइल का कैमरा भी नोटों के मध्य लगा हुआ था बरामद हुआ। जब इस डिवाइस के संबंध में गिरफ्तार अभियुक्त रोहित से गहराई से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा अपने कान से निकाल कर एक ब्लूटूथ डिवाइस दिया गया तथा बताया गया कि नोटों के मध्य लगे हुए कैमरे तथा बैटरी के माध्यम से यह डिवाइस उसके मोबाइल से कनेक्ट है तथा वह मालफ़ड़ पर जो ताश के पत्ते फेंके जाते हैं उसके संबंध में इस डिवाइस के माध्यम से जानकारी एकत्रित कर लेता है तथा जुआ को बेईमानी से जीत लेता है। विस्तार से पूछताछ पर बताया कि वह नोटों के मध्य लगे हुए कैमरे को जिसके अंदर बैटरी छिपी हुई है को इस प्रकार रख देता है कि जुआ के ताश के पत्ते जब मालफ़ड़ पर पड़ते हैं तो वह कैमरे में कवर हो जाते हैं तथा मोबाइल से स्कैन हो करके उसकी आवाज ब्लूटूथ से उसके कान तक पहुंच जाती है और वह उसी अनुसार हार जीत की बाजी लगाता है। इस प्रकार के डिवाइस के उपयोग की जानकारी पहली बार पुलिस के संज्ञान में आने पर गहराई से सूचना एकत्रित की जा रही है, इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त रोहित उपरोक्त एवं उसके साथियों द्वारा अन्य जनपदों में इस प्रकार जुआ खिलाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एकत्रित कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस सम्बन्ध में कोतवाली सदर हमीरपुर पर मुकदमा अपराध संख्या-135/21, धारा-3/4 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

- 1)गोपाल उर्फ जुगल किशोर पुत्र श्याम स्वरूप शुक्ला निवासी भैंसा पाली थाना कुरारा उम्र 30 वर्ष
- 2)शीबू उर्फ सानू पुत्र गफ्फार निवासी सूफीगंज चौराहा खालेपुरा हमीरपुर उम्र 32 वर्ष
- 3)प्रदीप उर्फ कुलदीप पुत्र राजकिशोर उर्फ राजू अहिरवार निवासी नौबस्ता थाना हमीरपुर उम्र 30 वर्ष
- 4)अर्पित उर्फ कपिल पुत्र राजेश शर्मा निवासी मोहल्ला पालीवाल थाना कुरारा हमीरपुर उम्र 23 वर्ष
- 5)विकास माली पुत्र स्व0 सुनील निवासी खालेपुरा हमीरपुर उम्र 28 वर्ष
- 6)रोहित पुत्र बट्टी प्रसाद गुप्ता निवासी बस स्टैंड के पास कुरारा थाना कुरारा उम्र 28 वर्ष

बयामदगी का विवरण:-

- 1)माल फाड़ 21070 रुपया
- 2)जामा तलाशी 2120 रुपया
- 3) 500 के नोटों के मध्य काट कर लगाया गया मोबाइल कैमरा व मोबाइल बैटरी तथा एक ब्लूटूथ डिवाइस व एक मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1)उप निरीक्षक नीरज पाठक
- 2)उप निरीक्षक मनोज पांडे
- 3)कांस्टेबल अभिषेक तिवारी
- 4)कांस्टेबल अक्कीश कुमार
- 5)कांस्टेबल मनोज सिंह
- 6)कांस्टेबल सनोज कुमार
- 7)कांस्टेबल सरोज चौधरी
- 8) कांस्टेबल भूपेंद्र
- 9)कांस्टेबल अर्जुन सिंह
- 10)काँन्स्टेबल मनुष्य



नोट-

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा उत्साहवर्धन हेतु ₹5000 का नगद पुरस्कार दिया गया।